



सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 22.10.2025

- ❖ “मिशन शक्ति 5.0 अभियान” के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की कार्यवाही ।
- ❖ थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में “मिशन शक्ति 5.0 अभियान” के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में वादी द्वारा दी गयी तहरीर जिसमें वादी की नाबालिग भतीजी को बहला फुसला कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना रसूलाबाद पर मु0अ0स0 107/2025 धारा 137(2)/61(2) बीएनएस बनाम 1. लल्लू उर्फ लालू पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम पीपर पुरवा, मौजा बेरूहनी, थाना अजीतमल, जनपद औरैया, 2. अभिषेक पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम पूठा, थाना अजीतमल, जनपद औरैया के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी । थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 22.10.2025 को नामित अभियुक्त लल्लू उर्फ लालू उर्फ दीपसिंह पुत्र राधेबाबू उर्फ राधेश्याम निवासी ग्राम पीपर पुरवा, मौजा बेरूहनी, थाना अजीतमल, जनपद औरैया को अभियुक्त लल्लू उर्फ लालू उपरोक्त के घर ग्राम पीपर पुरवा, मौजा बेरूहनी, थाना अजीतमल, जनपद औरैया से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

लल्लू उर्फ लालू उर्फ दीपसिंह पुत्र राधेबाबू उर्फ राधेश्याम, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम पीपर पुरवा, मौजा बेरूहनी, थाना अजीतमल, जनपद औरैया ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 107/2025 धारा 137(2)/61(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना रसूलाबाद पुलिस